फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **अशरफ खान पुत्र बुदला खां बनाम जैकमदीन पुत्र सफेदा**

किस्म मुकदमा **अपील** नम्बर **12 / 88 / 18**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.18	आज यह अपील हमारे समक्ष पेंश हुई। कार्यालय रिपोर्ट ली जाकर, अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलान्ट वकील उपस्थित। रैस्पा0 की ओर से श्री श्योराम सिंह नरूका अधिवक्ता उपस्थित। बहस अपील क्षेत्राधिकार पर सुनी गई। अपीलान्ट वकील ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 14—06—2018 के विरूद्व पेश की गई है। अपीलान्ट व अन्य ग्रामवासी के राशन कार्ड नम्बर अंकित कर हमारे राशन कार्ड की जो सामग्री मिलती है उस सामग्री को रैस्पा0 सं0 1 बाजार में ब्लेक में बेच देता है जिस की शिकायत जिला रसद अधिकारी, अलवर व अन्य विभाग में लिखित शिकायत की गई। जिस पर जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 21—02—2017 को प्राधिकार पत्र 1302 / 05 निलंबित किया व दिनांक 25—05—2017 को जांच होने पर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। रैस्पा0 ने गलत तथ्यों के आधार पर एव अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना ही अपील अदालत श्रीमान के दायर की गई। जो न्यायालय द्वारा दिनांक 10—10—2017 को अपीलीय आदेश निरस्त	

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अशरफ खान पुत्र बुदला खां बनाम जैकमदीन पुत्र सफेदा
अपील नम्बर 12/88/18

24/7/19

किया जाकर पत्रावली रिमाण्ड की जाकर व गुणावगुण पर अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः समग्र विश्लेषण विधि सम्मत आदेश यथा सम्भव तीन माह में पारित करें, के प्रचलित किये गये थे। रैस्पा0 सं0 2 ने 3 माह में निस्तारण नहीं किया गया बल्कि 8 माह में निस्तारण किया गया है, और विभागीय प्रकरण विचाराधीन रखते हुए उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से बहाल किया गया है, रैस्पा0 सं0 1 को नाजायद फायद दिया गया है। तहत अदालत ने हम अपीलान्ट्स पक्षकारान को पक्षकार नही बनाया गया, अपीलान्ट्स को अपील दायर करने हेतु प्रार्थना पत्र जरेदफा 96 जा0दी0 का पेश किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलीय आदेश दिनांक 14–06–2018 निरस्त किया जावें।

रैस्पा0 सं0 1 ने प्रारम्भिक एतराज प्रार्थना पत्र पेश किया नकल अपीलान्ट अधिवक्ता को उपलब्ध कराई गई। एतराज प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि रैस्पा0 सं0 1 द्वारा जिला रसद अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 25–05–2017 के विरूद्व अपील संख्या 12/99/17 जैकमदीन बनाम जिला रसद अधिकारी दिनांक 10–07–2017 को पेश की गई जिस अपील का निर्णय दिनांक 10–10–2017 को अपीलीय

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

अशरफ खान पुत्र बुदला खां बनाम जैकमदीन पुत्र सफेदा
अपील नम्बर 12/88/18

24/7/19

आदेश निरस्त किया जाकर रिमान्ड किया गया था। डीलर द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता की जाती है तो उस अनियमितता के विरूद्व केवल विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। उपभोक्ता अपील पेश करने का कोई अधिकार हासिल नही है। अपील पेश करने का अधिकार डीलर एवं लाईसेंस जारी कर्ता को हासिल है। राजस्थान खाघान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण विनियमन आदेश 1976 के तहत रैस्पा सं0 1 को प्राधिकार पत्र जारी किया गया है। जिसके तहत किसी उपभोक्ता को रैस्पा सं0 1 के विरूद्व अपील पेश करने का कोई कानूनी प्रावधन नहीं है। अपीलान्ट ने रैस्पा0 सं0 1 रूपये उधार लिये थे जिसकी अदायगी अपीलान्ट द्वारा रैस्पा0 सं01 को चैक प्रदान किया गया जो चैक बैक से डिसऑनर होने पर अपीलान्ट के विरूद्व एसीजेएम लक्षमनगढ में मुकदमा किया हुआ है–अपने कथन की पुष्टी में सत्यापित आदेशिका दिनांक 12.05.2017 की फोटो प्रति एवं फोटो प्रति एफ.आई.आर. नम्बर 117/17 की प्रति पेश की गई। अपीलान्ट्स आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जिनके द्वारा दर्जशुदा मुकदमें से बचने एवं रैस्पा0 स01 व उसके पिता पर मुकदमें में राजीनामा वास्ते बेजा दबाव बनाने की नियत व मंशा से झूठी शिकायत पेश की गई थी। अपीलान्ट जिला रसद

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

24/7/19

अधिकारी अलवर के यहॉ पक्षकार नही थे जिस कारण से अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 के तहत अपील पेश करने की इजाजत बिना प्रस्तुतशुदा अपील चलने योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट एवं अन्य के द्वारा पूर्व उप खण्ड अधिकारी राजगढ को शिकायत दिनांक 13–02–2017 प्रस्तुत करने पर शिकायत की जांच होने के उपरान्त जिला रसद अधिकारी द्वारा रैस्पा0 सं0 1 का प्राधिकार पत्र दिनांक 25–05–2017 को निरस्त किया गया है। उक्त पारित निर्णय दिनांक 25–05–2017 के विरूद्व रैस्पा0 सं0 1 के द्वारा अपील दायर की गई, इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 12/99/17 का निर्णय दिनांक 10–10–2017 को पारित किया गया था, पारित निर्णय में अपीलीय आदेश निरस्त किया जाकर रिमान्ड किया गया की गुणावगुण पर अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर समग्र विश्लेषण विधि सम्मत आदेश यथा सम्भव तीन में पारित करें। उक्त निर्णय की अनुपालना में जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 14–06–2018 को रैस्पा0 सं0 1 के विरूद्व विभागीय प्रकरण विचाराधीन रखते हुए उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र बहाल किया गया है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

(5)

अशरफ खान पुत्र बुदला खां बनाम जैकमदीन पुत्र सफेदा

अपील नम्बर 12/88/18

24/7/19

अपीलान्ट एवं अन्य ग्रामवासीयान ग्राम पंचायत हसनपुर के ग्राम सजनपुरी व जोनाखेडाभय द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील में पक्षकार बनने के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये गये। मात्र शिकायत कर्ता होना कोई आधार नही है यदि अपीलान्ट एवं अन्य ग्रामवासीयान को कई आपत्ति है तो वह जिला रसद अधिकारी, अलवर में विभागीय प्रकरण विचाराधीन है के समक्ष अपना कथन मय साक्षय प्रस्तुत कर सकता है। इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों। सुनाया।

जिला कलक्टर

अलवर

जिला कलक्टर

अलवर (राज०)